

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 819/2011

संस्थित दिनांक-18.10.2011

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रामशंकर उर्फ राजू पुत्र पोप सिंह राठौर, उम्र-40 साल

निवासी-चार शहर का नाका रानीपुरा, ग्वालियर, म0प्र0

हाल-ताजगंज गोबर चौकी आगरा।

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 20.01.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 338 के अंतर्गत आरोप है कि तुमने दिनांक 24.09.2011 को दिन के 02:00 बजे स्थान दिलीप सिंह का पुरा भिण्ड-ग्वालियर रोड पर वाहन बस क्रमांक एम0पी0-30-पी0-0957 को लोग मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न किया। उसी दिनांक, समय व स्थान पर आपने उपरोक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1982 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी रामकुमार को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की।

2. अभियोजना का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामकुमार पटैरिया दिनांक 24.09.2011 को बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1982 में बैठकर भिण्ड से ग्वालियर की ओर आ रहा था। बस में और भी सवारियां थीं। भिण्ड-ग्वालियर रोड पर करीब 02:00 बजे दिलीप सिंह का पुरा पर बस पहुंची तभी गोहद चौराहे तरफ से एक बस क्रमांक एम0पी0-30-पी0-0957का चालक बस को बड़ी तेजी व लापरवाही से चला कर लाया और उनकी बस में टक्कर मारी दी, जिससे फरियादी को दायने हाथ में चोट होकर खून आया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 128/ 11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधार आहत् का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। एक्स-रे परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त से बस जप्त की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वाहन की मेकेनिकल जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए बलेम प्राप्त करने के लिए फंसाए जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या दिनांक 24.09.2011 को दिन के 02:00 बजे स्थान दिलीप सिंह का पुरा भिण्ड-ग्वालियर रोड पर वाहन बस क्रमांक एम0पी0-30-पी0-0957 को लोग मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामकुमार को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हां तो उसकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने उपरोक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए अभियुक्त की बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ-1982 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी रामकुमार को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में निजाम खां अ0सा0 1, उदयवीर सिंह अ0सा0 2, एस0आई बी0एल0 बंसल अ0सा0 3, डॉ. आलोक शर्मा अ0सा0 4, रामकुमार अ0सा0 5, भारतेन्दु अ0सा0 6, दिलीप सिंह अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

--:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष ::--

6. फरियादी रामकुमार अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 24.09.2011 की दिन के करीब 2 बजे की है, वह भिण्ड से ग्वालियर बस क्रमांक एमपी 07- 1982 में बैठकर आ रहा था। दिलीप सिंह के पुरा पर उसकी बस पहुंची तो सामने से आ रही बस क्रमांक एमपी 30-0957 का चालक तेजी से गलत दिशा में चलाकर आ रहा था। आहत के बस के चालक ने बचाने के लिए थोड़ी सी दायीं तरफ बस को किया। आहत चालक के पीछे बैठा था। बस क्रमांक एमपी 30-0957 ने उनकी बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आहत का दायां हाथ फ्रेक्चर हो गया था। साक्षी उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे में प्र0पी0 3 के रूप में किए जाने, जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं तथा अपना इलाज गोहद अस्पताल और बाद में ग्वालियर में होना बताता है। फरियादी के कथनों की पुष्टि प्राथमिकी प्र0पी0 3 के तथ्यों से हो रही है। प्रकरण में घटना के अन्य साक्षी निजाम खां अ0सा0 1 व दिलीप अ0सा0 7 दोनों के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न में भी घटना दिनांक 24.09.2011 को आहत रामकुमार पटैरिया को बस दुर्घटना में चोट कारित होने के संबंध में सुझाव दिया गया, किंतु उक्त साक्षीगण अभियोजन के उक्त सुझाव से इन्कार करते

हैं। साक्षी बी०एल० बंसल अ०सा० 3 दिनांक 24.09.2011 को फरियादी रामकुमार पटैरिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाए जाने से प्र०पी० 3 की प्राथमिकी पंजीबद्ध कर, उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् आहत् रामकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण प्र०पी० 4 भेज कर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में उक्त दिनांक को 24.09.2011 को गोहद सीएचसी में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहे के आरक्षक 273 द्वारा लाए जाने पर आहत् रामकुमार का परीक्षण करने पर दायीं कोहनी पर 04 गुणा 0.5 गुणा 0.3 सेमी० का फटा हुआ घाव पाए जाने, जिसके लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दिए जाने का कथन करते हैं। अपने अभिमत में आहत् को आई चोट परीक्षण की अवधि से 06 घण्टे के भीतर व चोट की प्रकृति एक्स-रे के आधार पर बताए जाने का कथन करते हैं। प्र०पी० 4 के दस्तावेज को साक्षी ने पृष्ठ भाग पर प्र०पी० 8 के रूप में प्रमाणित कर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। उसी दिनांक को आहत् का एक्स-रे परीक्षण करने पर यूमरस हण्डी के नीचे के भाग में अस्थिभंग कारित होने के संबंध में कथन करते हैं। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 9 के रूप में प्रमाणित करते हैं, उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं।

8. प्रकरण में डॉ. आलोक शर्मा अ०सा० 4 के द्वारा आहत् रामकुमार को दिनांक 24.09.2011 को दायने हाथ में फटा हुआ घाव व यूमरस अस्थि में अस्थिभंग कारित होने के संबंध में सख्त व भौतरी वस्तु से चोट कारित होने की सुसंगत राय देते हैं। प्र०पी० 8 व 9 के दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर 114(ड) के अधीन अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होने से कारबार के सामान्य अनुक्रम में सही रूप से निश्चित करने की उपधारणा का आधार दर्शाते हैं। अभियुक्त की ओर से चिकित्सक को आहत् को आई चोट कटोर सतह पर गिरने से आना संभव होने की राय दी है तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में जिस बस में वह बैठा था, उसके चालक की गलती से घटना होने का सुझाव दिया है। आहत् को कोई चोट न थी ऐसा कोई सुझाव नहीं है। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि आहत् रामकुमार को दिनांक 24.09.2011 को दायने हाथ में चोट होकर अस्थिभंग के रूप में घोर उपहति मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या उक्त चोट अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपन कृत्य से कारित हुई थी ?

—:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 03 का निष्कर्ष ::—

09. तथ्य एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुरनावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्न का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी रामकुमार अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे बस क्रमांक एमपी 07-1982 में बैठा था और दिलीप सिंह का पुरा नामक सीन

पर सामने से आ रही बस एमपी 30-0957 के चालक द्वारा तेज गति से गलत दिशा में चलाकर उनकी बस को चक्कर मार दी, जबकि बस क्रमांक एमपी 07 -1982 के चालक निजाम खां अ0सा0 1 व दिलीप अ0सा0 7 दोनों के द्वारा इस तथ्य का समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण में साक्षी रामकुमार अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित दुर्घटना करने वाली बस का चालक रामशंकर उर्फ राजू को बताते हैं, किंतु न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को अन्य लोगों में से पहचानने से इन्कार करता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में यह कथन करता है कि "जब उसने एफआईआर लिखाई तब उसे पता चला कि टक्कर मारने वाली बस के चालक का नाम रामशंकर है" प्र0पी0 3 की एफआईआर में कहीं भी अभियुक्त रामशंकर उर्फ राजू का नाम लेख नहीं है, जिसे साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में ही स्वीकार करता है और यह भी स्वीकार करता है कि उसने पुलिस को अपने बारे में जानकारी देते समय नहीं बताया कि टक्कर मारने वाली बस को रामशंकर उर्फ राजू चला रहा था। स्वतः कथन करते हैं कि उसे स्टाफ वालों ने बताया कि चालक का नाम रामशंकर उर्फ राजू है। प्रकरण में अभिकथित स्टाफ के किसी व्यक्ति द्वारा वाहन बस क्रमांक एमपी 30 पी 0957 का चालन घटना के समय अभियुक्त द्वारा किया गया इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है।

10. प्रकरण में साक्षी रामकुमार अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि वे चालक के पीछे बैठे थे। जब उसके बस के चालक ने बचाने के लिए थोड़ी सी बायीं तरफ बस को किया तो एमपी 30-0957 ने उनकी बस में टक्कर मार दी। कंडिका 3 में स्वतः कथन करते हैं कि अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं, जबकि प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति को चोट कारित हुई इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अभियोजन साक्षी भारतेन्दु अ0सा0 6 द्वारा दिनांक 26.09.2011 अर्थात् घटना के एक दिन बाद वाहन एमपी 30 पी 0957 की मेकेनिकल जांच किए जाने का कथन करते हैं। वे अपने मुख्य परीक्षण में बस में सभी ब्रेक, स्टेरिंग, किलिच, एक्सीलेटर सही पाए जाने व बस में कोई भी टूटफूट न पाए जाने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में स्वीकार करते हैं कि बस के आगे के हिस्से में कोई भी टूटफूट नहीं थी और न ही कोई हिस्सा डेमेज(क्षतिग्रस्त) था। ऐसे में यदि रामकुमार अ0सा0 5 कि कथन को सही माना जाए तो अभिकथित टक्कर में बस एमपी 30 पी 0957 में कोई भी टूटफूट या क्षति नहीं पाए जाने से फरियादी रामकुमार के कथन के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

11. प्रकरण में उदयवीर अ0सा0 2 जो कि बस क्र0 एमपी0-30 पी0-0957 के पंजीकृत स्वामी हैं, वे अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनकी गाड़ी भिण्ड से ग्वालियर चलती है उसकी गाड़ी को चालक चलाते हैं जो बदलते रहते हैं। साक्षी यह भी बताते हैं कि उनके पास चार पांच गाड़ियां और हैं और यह कथन करते हैं कि उन्होंने पुलिस को कोई प्रमाणीकरण दिया या नहीं उन्हें याद नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर प्रमाणीकरण प्र0पी0 2 का ए से ए भाग

पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 24.09.2011 को अभियुक्त उक्त बस को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि जब उन्होंने प्र०पी० 2 पर हस्ताक्षर किए तब उस पर कुछ लिखा नहीं था। इस प्रकार से उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित घटना दिनांक 24.09.11 को सुसंगत समय पर अभियुक्त द्वारा बस को चलाए जाने के संबंध में इंकार किया गया है और अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं हैं जिसके द्वारा अभियुक्त के सुसंगत घटना दिनांक व समय पर वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन किया गया हो। जहां तक अनुसंधानकर्ता बी०एल० बंसल अ०सा० 3 का प्रश्न है तो वे अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 25.09.11 को अभियुक्त के कब्जे से उक्त बस जब्त किए जाने का कथन करते हैं, किन्तु अभियुक्त के द्वारा पेश करने पर वाहन प्र०पी० 6 के अनुसार जब्त किया जाना उसका घटना दिनांक 24.09.11 को वाहन उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने का प्रमाण नहीं हो सकता है।

13. प्रकरण में यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं कि आहत रामकुमार अ०सा० 5 जो उसके कथन अनुसार बस क्र० एम०पी०-07 एफ-1982 में बैठा था और अन्य बस एमपी०-30 पी-0957 से दुर्घटना कारित होना बताई गयी है जबकि बस में अन्य व्यक्ति भी बैठा होना बताए गए किन्तु बस में कोई क्षति न होना और आहत के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को चोट न पहुंचना संदेह का महत्वपूर्ण आधार है। अभियुक्त का नाम भी साक्षी रामकुमार अ०सा० 5 ने अन्य लोगों के कहने पर बताया है जबकि वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने पर भी नहीं पहचानता है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण हो जाता है। प्र०पी० 2 का प्रमाणीकरण स्वयं सारवान साक्ष्य नहीं हैं और उक्त प्रमाणीकरण भी उसके निष्पादक द्वारा अस्वीकार किया गया है, यह तथ्य भी संदेहपूर्ण हैं।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 24.09.2011 को दिन के 02:00 बजे स्थान दिलीप सिंह का पुरा भिण्ड-ग्वालियर रोड पर वाहन बस

क्रमांक एम0पी0-30-पी0-0957 को लोग मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया बस क्रमांक एम0पी0-07एफ-1982 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी रामकुमार को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

16. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश